# वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:– 01. पैरोकार राज ।

02. प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 13 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह एडवोकेट।

03. प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री अमरसिंह एडवोकेट।

## –: निर्णय :–

दिनांक :– 29-7-2025

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 541 तादादी 0.1771 हेक्टेयर, खसरा संख्या 542 तादादी 0.1265 हैक्टेअर तथा खसरा संख्या 543 तादादी 0.4426 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न है। उक्त कृषि भूमि पर आवासीय मकानात आदि बनाकर अकृषि उपयोग लिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि कार्य करने का अधिकार ही है। भूमि कृषि भूमि है जिस पर अवैध रूप से आबादी बसी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के स्वरूप परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत वाद पत्र की सूनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि उपयोग मौके पर किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादीगण की भूमिखसरा संख्या 541 तादादी 0.1771 हेक्टेयर, खसरा संख्या 542 तादादी 0.1265 हैक्टेअर तथा खसरा संख्या 543 तादादी 0.4426 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी समाप्त कर राजकीय दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। आदि आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

01. वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 13 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री अमरसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 30.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 05 के वकील की ओर से एक प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया, जो शामिल मिसल है। पैरोकार राज से उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब चाहा गया, जिसपर पैरोकार राज द्वारा दिनांक 22.07.2025 को जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति पेश की है तथा निवेदन किया कि पैरोकार राज द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 16 शंकरलाल पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा की मृत्यु होने के बाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद Null & Void है। जो विधि विरूद्ध होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। जबकि पैरोकार राज की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में यह अंकित किया है कि धारा 177 के तहत तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी शंकरलाल के जीवित होने की जानकारी थी तथा अप्रार्थी शंकरलाल के स्वर्गवास होने के बारे में जानकारी नहीं थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया एवं गहनता से मनन किया गया। अतः वकील प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य व संलग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र से यह साबित होता है कि वादपत्र दिनांक 25.09.2024 को पैरोकार राज द्वारा इस न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया था, जबकि प्रतिवादी संख्या 16 शंकरलाल पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा की मृत्यु मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर दिनांक 07.11.2023 को हो जानी साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद Null & Void एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है।

**–:आदेश :–**

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद Null & Void एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29-7-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

र मुकदमा :– 57/24

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

............वादी

**बनाम**

01. किरण देवी पत्नी रामचंद्र जाति माली निवासी साण्डवा।
02. गणेशाराम पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी साण्डवा।
03. चुकी पत्नी मुकनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
04. . पेमाराम पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
05. प्रभुराम पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
06. प्रमेश्वरी पुत्री पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
07. बंशीलाल पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
08. मैना पुत्री हुलासाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
09. ममता पुत्री रामचंद्र जाति माली निवासी साण्डवा।
10. माया पुत्री रामचंद्र जाति माली निवासी साण्डवा।
11. रामनिवास पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
12. रामेश्वर पुत्र मुकनाराम पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
13. रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी साण्डवा।
14. लिछमण पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
15. लिछमा पुत्री हुलासराम जाति माली निवासी साण्डवा।
16. शंकरलाल पुत्र पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
17. सन्तोष पुत्री हुलासराम जाति माली निवासी साण्डवा।
18. सीताराम पुत्र मुकनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।
19. हीरादेवी पत्नी पनाराम जाति माली निवासी साण्डवा।

...............प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर